---

# न्यायालयः—अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, के.पाटन, जिला बून्दी (राज.)

---

**पीठासीन अधिकारी :— डॉ. ऋचा चायल, आर.जे.एस.**
**सी.आई.एस. नंबर :— Cri.Reg.Case/373/2023**
**सी एन आर नंबर :— RJBD080009712023**

**निर्णय दिनांकः—27.03.2026**

**आरक्षी केन्द्र के.पाटन, जिला बून्दी के मुकदमा संख्या 134/2023 अन्तर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 से उदभुत प्रकरण।**

| | |
|---|---|
| परिवादी | राजस्थान राज्य जरिए सहायक अभियोजन अधिकारी |
| प्रतिनिधित्व द्वारा | श्री राजकुमार डागर सहा. अभि. अधि. |
| अभियुक्त/अभियुक्तगण | **1. आकाश** पुत्र सत्यनारायण, निवासी वार्ड नंबर 18 हरिजन मोहल्ला के.पाटन, पुलिस थाना के.पाटन, जिला बून्दी (राज.)<br>**2. शिवा** पुत्र रणजीत, निवासी वार्ड नंबर 17 हरिजन मोहल्ला के.पाटन, पुलिस थाना के.पाटन, जिला बून्दी (राज.) |
| प्रतिनिधित्व द्वारा | 1. श्री महेन्द्र सिंह गौड, अधिवक्ता। |

| | |
|---|---|
| अपराध की तिथि | 01.05.2023 |
| प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि | 03.05.2023 |
| आरोप पत्र की तिथि | 21.08.2023 |
| आरोप विरचित किये जाने की तिथि | 19.09.2023 |
| साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि | 19.12.2024 |
| निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि | 27.03.2026 |
| निर्णय की तिथि | 27.03.2026 |
| दण्डादेश, यदि कोई हो, की तिथि | — |

**अभियुक्त का विवरण :—**

| अभियुक्त की श्रेणी | अभियुक्त का नाम | अभियुक्त को गिरफ्तार करने की दिनांक | जमानत पर रिहा किये जाने की तिथि | अपराध जिनका आरोप है | दोषमुक्ति या दण्डादेश | अधिरोपित दण्डादेश | धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | आकाश | 04.05.2023 | 06.05.2023 | धारा 379 भा.दं.सं., 1860 | दोषमुक्ति | — | 03 दिवस |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | शिवा | 11.06.2023 | 14.06.2023 | धारा 379 भा.दं.सं., 1860 | दोषमुक्ति | – | 04 दिवस |

## अभियोजन साक्ष्य की सूची :–

### (क) अभियोजन साक्षी :–

| श्रेणी | नाम | साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी) |
|---|---|---|
| अ.सा.–1 | रामसागर | फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त आकाश साक्षी |
| अ.सा.–2 | रामराज | फर्द गिरफ्तारी एवं तस्दीक घटनास्थल नक्शा मौका साक्षी |
| अ.सा.–3 | शिवसिंह | घटनास्थल नक्शा मौका एवं फर्द बरामदगी व बरामदगी स्थल नक्शा मौका साक्षी |
| अ.सा.–4 | जितेन्द्र कुमार | शिकायतकर्ता |
| अ.सा.–5 | संतोष कुमार | नक्शा मौका साक्षी |
| अ.सा.–6 | रामलाल | नक्शा मौका साक्षी |
| अ.सा.–7 | श्रीकृष्ण | फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त शिवा एवं तस्दीक घटनास्थल नक्शा मौका साक्षी |
| अ.सा.–8 | भैरूलाल | अनुसंधानकर्ता |
| अ.सा.–9 | रामभजन | मालखाना साक्षी |
| अ.सा.–10 | बाबूलाल | फर्द तस्दीक घटनास्थल अभियुक्त आकाश व बरामदगी स्थल साक्षी |

### (ख) प्रतिरक्षा साक्षी :–

| श्रेणी | नाम | साक्ष्य की प्रकृति |
|---|---|---|
| बचाव साक्षी –1 | – | – |

### (ग) न्यायालय साक्षी :–

| श्रेणी | नाम – | साक्ष्य की प्रकृति |
|---|---|---|
| न्यायालय साक्षी–1 | – | – |

## अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

### (क) अभियोजन :–

| क्रम संख्या | प्रदर्श संख्या | विवरण |
|---|---|---|
| 1. | प्र.पी.–1 | फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त आकाश |
| 2. | प्र.पी.–2 | फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त शिवा |
| 3. | प्र.पी.–3 | फर्द तस्दीक घटनास्थल अभियुक्त आकाश |
| 4. | प्र.पी.–4 | तहरीरी रिपोर्ट |

| | | |
|---|---|---|
| 5. | प्र.पी.—4ए | फर्द बरामदगी लोहे की जाली |
| 6. | प्र.पी.—5 | चाक एफआईआर |
| 7. | प्र.पी.—5ए | फर्द नक्शा मौका बरामदगी स्थल |
| 8. | प्र.पी.—6 | नक्शा मौका घटनास्थल |
| 9. | प्र.पी.—6ए | फर्द तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल अभियुक्त शिवा |
| 10. | प्र.पी.—7 व प्र.पी—8 | धारा 27 साक्ष्य अधिनियम सूचना अभियुक्त आकाश |
| 11. | प्र.पी—9 | धारा 27 साक्ष्य अधिनियम सूचना अभियुक्त शिवा |
| 12. | प्र.पी—10 | आपराधिक रिकॉर्ड अभियुक्त शिवा |
| 13. | प्र.पी—11 | मालखाना रजिस्टर |

**नोटः— फर्द बरामदगी लोहे की जाली को प्रदर्श पी—4ए, फर्द नक्शा मौका बरामदगी स्थल को प्रदर्श पी—5ए तथा फर्द तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल को प्रदर्श पी—6ए के रूप में पढा जा रहा है।**

**(ख) प्रतिरक्षा :—**

| क्रम संख्या | प्रदर्श संख्या | विवरण |
|---|---|---|
| 1. | — | — |

**(ग) न्यायालय प्रदर्श :—**

| क्रम संख्या | प्रदर्श संख्या | विवरण |
|---|---|---|
| 1. | — | — |

**(घ) आवश्यक वस्तुयें :—**

| क्रम संख्या | भौतिक सामग्री संख्या | विवरण |
|---|---|---|
| 1. | — | — |

## —:: निर्णय ::—

1. प्रकरण के मूलतः तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी जितेन्द्र कुमार पुत्र रामस्वरूप, अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका के.पाटन द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना के.पाटन में इस आशय की दर्ज कराई गई कि वार्ड नंबर 2 भगत सिंह कॉलोनी में दिनांक 01.05.2023 को आकाश पुत्र नारायण, शिवा पुत्र रणजीत द्वारा नगरपालिका द्वारा नालियों के ढकान के लिए लगाई गई लोहे की जालियां चोरी कर ली गई, जिसका वीडियो भी प्राप्त हुआ है एवं संबंधित पार्षद/व्यक्तियों द्वारा भी उक्त व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई है। तीनों व्यक्तियों द्वारा पूर्व में भी नगरपालिका भवन के गैराज से जालियों की चोरी की गई है, जिस हेतु पूर्व में भी एफआईआर दर्ज करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। अतः उक्त व्यक्तियों के विरूद्ध सरकारी सम्पत्ति चोरी करने की संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करे, इत्यादि।

2. उक्त तथ्यों के आधार पर आरक्षी केन्द्र के.पाटन में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या—134/2023 दर्ज की गई और बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा 379 भारतीय दंड संहिता 1860 (आगे भा.दं.सं. 1860 से विर्निदिष्ट किया जायेगा) का अपराध प्रमाणित पाया जाकर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। आरोप पत्र पर उपलब्ध सामग्री से अभियुक्तगण के विरूद्ध उपर्युक्त धारा का अपराध प्रथम दृष्टया बनना पाये जाने पर उक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. आरोप पत्र की सुस्पष्ट प्रति अभियुक्तगण के अधिवक्ता को उपलब्ध करवाई गई। गवाहान के बयान तथा उपलब्ध अन्य सामग्री के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 379 भा.दं.सं., 1860 का अपराध प्रथम दृष्टया बनना पाये जाने पर आरोप पृथक् से विरचित कर अभियुक्तगण को सुनाया समझाया गया, तो अभियुक्तगण ने आरोपित अपराध से इंकार कर अन्वीक्षा चाही, जिस पर प्रकरण साक्ष्य में नियत किया गया।

4. अभियोजन की ओर से कुल 10 साक्षी परीक्षित करवाये गये और प्रदर्श 1 से 11 तक प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये गये। पत्रावली पर अभियोजन की ओर से पेश की गई मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं., 1973 में परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने गवाहान द्वारा किये गये कथन गलत होना जाहिर किया है तथा कथन किया कि वे निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण की ओर से साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना जाहिर किया, जिस पर साक्ष्य सफाई बंद की गई।

5. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिये हैं कि पत्रावली पर संलग्न समस्त साक्ष्य सामग्री से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया गया।

6. दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा तर्क दिए गए कि हस्तगत प्रकरण में पेश प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा लोहे की जालियां चोरी करने के संबंध में वीडियो के आधार पर उनके विरूद्ध चालान पेश किया गया है, जबकि ऐसा कोई वीडियो क्लिप न्यायालय के समक्ष पेश होकर प्रदर्शित नहीं कराया गया है। मौके का ऐसा कोई गवाह नहीं है, जिसने अभियुक्तगण को तथाकथित चोरी करते हुए देखा गया हो। स्वयं परिवादी के बयानों में विरोधाभास रहा है। मात्र अभियुक्तगण की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना के आधार पर की गई जब्ती संदेहप्रद रही है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे प्रमाणित नहीं होने के कारण अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

7. सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध के संबंध में पत्रावली पर आई साक्ष्य के आधार पर न्यायालय को निम्न विचारणीय बिन्दु के संबंध में विवेचन करना है—

1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 01.05.2023 को किसी समय बमुकाम भगत सिंह कॉलोनी वार्ड नंबर 2 के.पाटन में परिवादी जितेन्द्र कुमार, अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका की ओर से नालियों के ढकान के लिए लगाई गई लोहे की जालियां जो कि सरकारी सम्पत्ति में आती है, को परिवादी की सम्मति के बिना बेईमानी के आशय से हटाकर चोरी कारित की?

2. यदि हां, तो अभियुक्तगण के लिये उचित दण्ड क्या होगा?

8. अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष कुल 10 गवाहान् के बयान लेखबद्ध करवाये गये है। गवाह पी.डब्ल्यू—4 जितेन्द्र हस्तगत प्रकरण का परिवादी है, पी.डब्ल्यू—5 संतोष, पी.डब्ल्यू—6 रामलाल नक्शे मौके के गवाहान है, पी.डब्ल्यू—1 रामसागर अभियुक्त आकाश की फर्द गिरफ्तारी का गवाह है, पी. डब्ल्यू—2 रामराज अभियुक्तगण आकाश व शिवा की फर्द गिरफ्तारी एवं तस्दीक घटनास्थल का गवाह है, गवाह पी.डब्ल्यू—3 शिवसिंह फर्द तस्दीक घ ाटनास्थल अभियुक्त आकाश व बरामदगी व बरामदगी स्थल का गवाह है, पी. डब्ल्यू—7 श्रीकृष्ण अभियुक्त शिवा की फर्द गिरफ्तारी व तस्दीक घटनास्थल का गवाह है, पी.डब्ल्यू—10 बाबूलाल फर्द तस्दीक घटनास्थल अभियुक्त आकाश व बरामदगी व बरामदगी स्थल का गवाह है, पी.डब्ल्यू—9 रामभजन मालखाना साक्षी है, पी.डब्ल्यू—8 भैरूलाल हस्तगत प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है।

9. सर्वप्रथम परिवादी पी.डब्ल्यू—4 जितेन्द्र के बयानों का अवलोकन किया गया, जिसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अपने द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किये हैं कि वह दिनांक 03. 05.2023 को नगरपालिका अधिशाषी अधिकारी के पद पर कार्यरत था। उसे वार्ड नंबर 2 भगत सिंह कॉलोनी के जनप्रतिनिधी वार्ड पार्षद द्वारा सूचना मिली कि दिनांक 01.05.2023 को आकाश, शिवा ने नगरपालिका द्वारा नालियों के ढकान के लिए लगाई गई नगरपालिका भवन में जालियां चोरी की है जिसका वीडियो भी प्राप्त हुआ। पूर्व में भी इन व्यक्तियो ने नगरपालिका भवन में जालियां तोडी थी। जिस पर उसके द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, जो प्रदर्श पी—4 व पी—5 है, जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसकी निशानदेही से घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी—6 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

10. जिरह में गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि उसने अभियुक्तगण शिवा व आकाश को चोरी करते हुए नहीं देखा। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि वह यह नहीं बता सकता कि चोरी करते हुए किसने देखा। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि उसने अभियुक्तगण शिवा व आकाश द्वारा चोरी करने का वीडियो पुलिस को दिया था, लेकिन वह वीडियो पत्रावली में नहीं है। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि अभियुक्तगण से बरामद जाली की पहचान भी पुलिस ने उससे नहीं कराई।

11. गवाह पी.डब्ल्यू—5 संतोष कुमार व पी.डब्ल्यू—6 रामलाल, जो कि ताईदी एवं नक्शे मौके के गवाहान है अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करते है कि वे दिनांक 04.05.2023 को जमादार के पद पर नगरपालिका के.पाटन में कार्यरत थे। उस दिन पुलिस ने भगत सिंह कॉलोनी वार्ड नंबर 2 में नाली की जाली चोरी होने के मामले में घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी—6 है जिस पर उनके हस्ताक्षर है।

12. जिरह में उक्त दोनों ही गवाहान इस कथन को सही होना बताते हैं कि उन्होंने चोरी होते हुए नहीं देखा।

13. गवाह पी.डब्ल्यू—1 रामसागर, जो कि अभियुक्त आकाश की फर्द गिरफ्तारी का गवाह है अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 04.05.2019 को थाना के.पाटन में कानि. के पद पर कार्यरत था। उस दिन भैरूलाल एएसआई ने प्रकरण संख्या 134/2023 में अभियुक्त आकाश को जरिये फर्द प्रदर्श पी—1 गिरफ्तार किया था जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

14. जिरह में गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि अभियुक्त आकाश को पुलिस ने थाने पर ही गिरफ्तार किया था।

15. गवाह पी.डब्ल्यू—2 रामराज, जो कि अभियुक्तगण शिवा व आकाश की फर्द गिरफ्तारी व तस्दीक घटनास्थल का गवाह है अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनाक 04.05.2023 को थाना के.पाटन में कानि. के पद पर कार्यरत था। उस दिन भैरूलाल एएसआई ने प्रकरण 134/23 में अभियुक्त आकाश को उसके सामने गिरफ्तार किया था। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी—1 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 11.06.2023 को उक्त प्रकरण में भैरूलाल एएसआई ने अभियुक्त शिवा को उसके सामने गिरफ्तार किया था। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी—2 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 11.06.2023 उक्त प्रकरण में भैरूलाल एएसआई ने अभियुक्त शिवा की निशानदेही से उक्त घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया था, जो प्रदर्श पी—3 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

16. उक्त गवाह से अभियुक्तगण अधिवक्ता द्वारा कोई जिरह नहीं की गई।

17. गवाह पी.डब्ल्यू—3 शिवसिंह, जो कि फर्द तस्दीक घटनास्थल अभियुक्त आकाश व बरामदगी व बरामदगी स्थल का गवाह है अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 05.05.2023 को थाना के.पाटन में कानि. के पद पर कार्यरत था। उस दिन भैरूलाल एएसआई ने प्रकरण संख्या 134/2023 में अभियुक्त आकाश की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना देने पर अभियुक्त आकाश को साथ लेकर रंगपुर रोड भदाना पहुंचे जहां अभियुक्त आकाश ने आगे आगे चलकर भदाना रोड कोटा में दुकानों के पीछे नाले में से एक लोहे की जाली निकाल कर पेश की, जो प्रकरण का माल मशरूका होने से एएसआई ने जप्त कर कब्जे पुलिस लिया व बरामदगी स्थल का नक्शा मौका बनाया। फर्द जप्ती प्रदर्श पी—4ए, नक्शा मौका बरामदगी स्थल प्रदर्श पी—5 पर पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन भैरूलाल एएआई ने अभियुक्त आकाश की निशादेही से घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी—6ए बनाया जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

18. जिरह में गवाह कथन करता है कि उन्होंने एक जाली जब्त की थी।

19. गवाह पी.डब्ल्यू—7 श्रीकृष्ण, जो कि अभियुक्त शिवा की फर्द गिरफ्तारी व तस्दीक घटनास्थल का गवाह है, अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 11.06 2023 को थाना के.पाटन में कानि. के पद पर कार्यरत था। उस दिन भैरूलाल एएसआई ने प्रकरण 134/2023 में अभियुक्त शिवा को उसके सामने गिरफ्तार किया था। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी—2 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 11.06.2023 को उक्त प्रकरण में भैरूलाल एएसआई ने अभियुक्त शिवा की निशानदेही से घटनास्थल का तस्दीक मौका उसके सामने बनाया जो प्रदर्श पी—3 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

20. जिरह में गवाह कथन करता है कि अभियुक्त शिवा को थाने पर ही गिरफ्तारी किया था।

21. गवाह पी.डब्ल्यू—10 बाबूलाल, जो कि फर्द तस्दीक घटनास्थल अभियुक्त आकाश व बरामदगी व बरामदगी स्थल का गवाह है, अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 05.05.2023 को थाना के.पाटन में कानि. के पद पर कार्यरत था। उस दिन भैरूलाल एएसआई ने प्रकरण संख्या 134/2023 में जैर हिरासत अभियुक्त आकाश की सूचना पर अभियुक्त आकाश को साथ लेकर भदाना रोड कोटा लेकर पहुंचे जहां अभियुक्त आकाश ने दुकानों के पीछे नाले में से एक लोहे की जाली निकालकर पेश की जो प्रकरण में माल मशरूका होने से एएसआई ने जब्त कर बरामदगी स्थल का नक्शा मौका बनाया जब्ती प्रदर्श पी—4ए व नक्शा मौका व बरामदगी स्थल प्रदर्श

पी—5 है, जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। अभियुक्त आकाश की निशानदेही से उसी दिन एएसआई ने घटनास्थल का तस्दीक मौका बनाया, जो प्रदर्श पी—6ए है, जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है।

22. जिरह में गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि जब्तशुदा जाली की एएसआई ने ईओ के.पाटन से पहचान नहीं कराई।

23. गवाह पी.डब्ल्यू—9 रामभजन, जो कि मालखाना साक्षी है अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 05.05. 2023 को थाना के.पाटन में एचएम मालखाना के पद पर कार्यरत था। उस दिन भैरूलाल एएसआई ने प्रकरण संख्या 134/2023 में लोहे की नाली बन्द करने की जाली जमा मालखाना करने हेतु उसे दी थी जिसको उसने असल मालखाना रजिस्टर के क्रम संख्या 83ए दिनांक 05.05.2023 को इन्द्राज कर जमा मालखाना किया असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी—11 है। जिसकी सत्यापित प्रति प्रदर्श पी—11ए है, जो शामिल पत्रावली है।

24. जिरह में गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि लोहे की जाली किसी कपड़े की थैली में शीलबन्द नहीं थी।

25. गवाह पी.डब्ल्यू—8 भैरूलाल, जो कि हस्तगत प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 03.05.2023 को थाना के.पाटन में एएसआई के पद पर कार्यरत होकर थाना इंचार्ज था। उस दिन जितेन्द्र कुमार अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका के.पाटन में थाने पर उपस्थित होकर एक तहरीरी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट से मामला धारा 379 भा.दं. सं. का बनना पाये जाने पर उसके द्वारा प्रकरण संख्या 134/2023 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी—4 है जिस पर सी से डी कायमी मुकदमा व ई से एफ से उसके हस्ताक्षर है। एफआईआर प्रदर्श पी—5 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान घटनास्थल का नक्शा मौका दिनांक 04.05.2023 को परिवादी जितेन्द्र कुमार अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका की निशादेही से बनाया जो प्रदर्श पी—6 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। बयान गवाह जितेन्द्र कुमार अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका के उनके कथनानुसार लेखबद्ध किए। अभियुक्त आकाश को दिनांक 04.05.2023 को जरिये फर्द प्रदर्श पी—1 गिरफ्तार किया जिस पर ई से एफ उसके व जी से एफ अभियुक्त आकाश के हस्ताक्षर है। जैर हिरासत अभियुक्त आकाश ने दिनाक 04.05.2023 को स्वेच्छापूर्वक धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना दी गई कि जिस जगह से उसने लोहे की जाली चोरी की है उसको चलकर बता सकता है। सूचना प्रदर्श पी—7 है जिस पर ए से बी उसके व सी से डी अभियुक्त आकाश के हस्ताक्षर है। जैर हिरासत अभियुक्त आकाश दिनांक 05.05.2023 को उसे धारा 27 साक्ष्य अधिनियम सूचना दी कि उसने लोहे की जाली चुराई थी वह छुपा कर रखी है। जिसको चलकर बता

सकता है। सूचना प्रदर्श पी—8 है जिस पर ए से बी उसके व सी से डी अभियुक्त आकाश के हस्ताक्षर है। अभियुक्त आकाश की सूचना प्रदर्श पी—7 दिनांक 05.05.2023 को अभियुक्त आकाश को साथ लेकर भगत सिंह कॉलोनी के.पाटन पर अभियुक्त की निशानदेही से उस स्थान का नक्शा मौका बनाया जहां से अभियुक्त ने लोहे की जाली चुराई थी। तस्दीक मौका प्रदर्श पी—6 है जिस पर पर सी से डी उसके व ई से एफ अभियुक्त के हस्ताक्षर है। दिनांक 05.052023 को जैर हिरासत अभियुक्त को साथ लेकर बदाना रोड कोटा पहुंचे जहां अभियुक्त ने आगे—आगे चलकर दुकानों के पीछे नाले में छुपाकर रखी लोहे की जाली को निकालकर पेश किया, जो प्रकरण का माल मशरूका होने से जरिये फर्द जब्त कर बरामद कर बरामदगी स्थल का नक्शा मौका बनाया। फर्द जब्ती प्रदर्श पी—4 है, जिस पर सी से डी उसके व ई से एफ अभियुक्त आकाश के हस्ताक्षर है। नक्शा मौका व बरामदगी स्थल प्रदर्श पी—5 है, जिस पर सी से डी उसके व ई से एफ अभियुक्त के हस्ताक्षर है। दिनाक 11.06. 2022 अभियुक्त शिवा को जरिये फर्द प्रदर्श पी—2 गिरफ्तार किया, जिस पर ई से एफ उसके व जी से एच अभियुक्त शिवा के हस्ताक्षर है। जैर हिरासत अभियुक्त शिवा ने स्वेच्छापूर्वक उसे धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना दी कि जिस जगह उसने व आकाश ने लोहे की जाली चुराकर रखी है उसको चलकर बता सकता है। सूचना प्रदर्श पी—9 है, जिस पर ई से एफ उसके, जी से एच अभियुक्त शिवा के हस्ताक्षर है। उक्त सूचना पर अभियुक्त शिवा की निशानदेही से दिनांक 11.062023 को घटनास्थल का तस्दीक मौका बनाया जो प्रदर्श पी—3 है जिस पर ई से एफ उसके व जी से एच अभियुक्त शिवा के हस्ताक्षर है। अभियुक्त शिवा का आपराधिक रिकॉर्ड प्राप्त कर शामिल पत्रावली की जो प्रदर्श पी—11 है। अनुसंधान से अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 379 भा.दं. सं. का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली थानाधिकारी को सुपुर्द की जिनके द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया।

26. जिरह में गवाह कथन करता है कि लोहे की जाली चौरना बताया वह एक थी। जो जाली चोरी हुई थी वह भगत सिंह कॉलोनी की चोरी हुई थी। अभियुक्तगण आकाश व शिवा को घर से लाकर थाने पर गिरफ्तार किया था। पूर्व में भी काफी जालियां चोरी हुई थी, लेकिन एक ही जाली बरामद की है।

27. प्रकरण में परिवादी पी.डब्ल्यू—4 जितेन्द्र द्वारा बतौर अधिशाषी अधिकारी थाना के.पाटन में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण आकाश व शिवा द्वारा, नगरपालिका द्वारा नालियों के ढकान के लिए लगाई गई लोहे की जालियां चोरी करना दर्शाते हुए यह अंकित किया गया था कि उक्त चोरी के संबंध में वीडियो प्राप्त हुआ है और इस क्रम में बतौर पी.डब्ल्यू—4 परिवादी के बयानों के दौरान भी न्यायालय के समक्ष यह दर्शाया है कि उसने अभियुक्तगण आकाश व शिवा द्वारा लोहे की जालियां चोरी करने के संबंध में वीडियो अनुसंधान अधिकारी को दी थी, परन्तु अभियोजन कहानी के क्रम में परीक्षित

कोई भी गवाह न्यायालय के समक्ष उक्त वीडियो क्लिप को न्यायालय में पेश नहीं कर सका है, न ही अनुसंधान अधिकारी द्वारा ऐसा कोई कथन किया गया है कि हस्तगत प्रकरण में ऐसी कोई वीडियो क्लिप जिसमे अभियुक्तगण आकाश व शिवा तथाकथित लोहे की जालियां चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हो, वे उसके द्वारा प्राप्त की गई।

28. इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि परिवादी जितेन्द्र यह दर्शाता है कि उसे वार्ड संख्या 2 भगत सिंह कॉलोनी के जनप्रतिनिधि/वार्ड पार्षद द्वारा घटना की दिनांक को अभियुक्तगण आकाश व शिवा द्वारा लोहे की जालियां चोरी करने की सूचना प्राप्त हुई थी, परन्तु उल्लेखनीय है कि जिस व्यक्ति द्वारा परिवादी को उक्त चोरी की सूचना दी गई वह बतौर गवाह न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं हुआ है, जबकि सूचना देने वाला व्यक्ति प्रकरण का महत्वपूर्ण गवाह था और चूंकि स्वयं परिवादी अपनी जिरह में यह स्वीकार करता है कि उसने अभियुक्तगण आकाश व शिवा को चोरी करते हुए नहीं देखा था और किस व्यक्ति द्वारा अभियुक्तगण आकाश व शिवा को चोरी करते हुए देखा यह भी उक्त गवाह नहीं बता पाया है, जबकि अभियोजन कहानी के अनुसार अभियुक्तगण आकाश व शिवा, द्वारा तथाकथित चोरी का वीडियो भी परिवादी के पास होने के बावजूद अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसा कोई वीडियो न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित नहीं कराये जाने से अभियोजन का मामला संदेहप्रद रहा है।

29. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण आकाश व शिवा द्वारा तथाकथित चोरी की जालियां चोरी किए जाने के संबंध में धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना दी है और दोनों ही अभियुक्तगण की उक्त सूचना के आधार पर जिस स्थान से चोरी हुई उस बाबत् अभियुक्तगण की निशानदेही से घटनास्थल की तस्दीक मौका प्रदर्श पी—3 व पी—6ए गवाहान पी.डब्ल्यू—3 शिवसिंह तथा पी.डब्ल्यू—10 बाबूलाल की उपस्थिति में बनाया गया है और अभियुक्त आकाश की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला के आधार पर उक्त गवाहान शिवसिंह व बाबूलाल की उपस्थिति में अभियुक्त आकाश द्वारा बडा रोड कोटा, दुकानों के पीछे नाले में छुपाकर रखी गई लोहे की जालियों को जरिये फर्द प्रदर्श पी—4ए जब्त करना दर्शाया गया है, परन्तु उक्त बरामदगी मात्र अभियुक्त आकाश की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला के क्रम में की गई है, जो कि सार्वजनिक स्थान से की गई है, जहां स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति की संभावना होने के बावजूद कोई स्वतंत्र गवाह उक्त जब्ती के संबंध में नहीं रखा गया है और दूसरी ओर जबकि न्यायालय के समक्ष ऐसा वीडियो ही पेश कर बतौर आर्टिकल प्रदर्शित नहीं कराया गया है जिसमे अभियुक्तगण आकाश व शिवा तथाकथित लोहे की जालियों की चोरी करते हुए दिखते हो। जिस लोहे की जाली की जब्ती अभियुक्त आकाश से दर्शाई गई है उसकी पहचान भी परिवादी या उसके विभाग के किसी कर्मचारी से इस बाबत् नहीं कराई गई है कि जब्तशुदा लोहे की जाली परिवादी के विभाग की चोरीशुदा सम्पत्ति ही रही हो।

ऐसी स्थिति में मात्र अभियुक्तगण की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला के अनुसरण में की गई जब्ती पूर्णतः संदेहप्रद रही है। अभियुक्तगण की पहचान भी संबंधित गवाहान से इस बाबत् नहीं कराई गई है कि मौके पर, वीडियो में अभियुक्तगण आकाश व शिवा द्वारा ही लोहे की जालियां चोरी की गई हो। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है।

30. इस प्रकार पत्रावली पर अभियोजन की ओर से पेश की गई संपूर्ण मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 01.05.2023 को किसी समय बमुकाम भगत सिंह कॉलोनी वार्ड नंबर 2 के.पाटन में परिवादी जितेन्द्र कुमार, अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका की ओर से नालियों के ढकान के लिए लगाई गई लोहे की जालियां जो कि सरकारी सम्पत्ति में आती है, को परिवादी की सम्मति के बिना बेईमानी के आशय से हटाकर चोरी कारित की। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 379 भा.दं.सं. 1860 में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

## आदेश

31. अतः **अभियुक्तगण 1. आकाश** पुत्र सत्यनारायण, निवासी वार्ड नंबर 18 हरिजन मोहल्ला के.पाटन, पुलिस थाना के.पाटन, जिला बून्दी (राज.) **2. शिवा** पुत्र रणजीत, निवासी वार्ड नंबर 17 हरिजन मोहल्ला के.पाटन, पुलिस थाना के.पाटन, जिला बून्दी (राज.)को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत पूर्व में नियमित उपस्थिति बाबत् पेश जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

32. अभियुक्तगण द्वारा प्रकरण में अपील होने की स्थिति में अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने बाबत् धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत नियमित उपस्थिति बाबत् 10,000/— रूपये की जमानत व इसी कदर राशि का मुचलका पेश करने के क्रम में उक्त जमानत मुचलके आगामी 06 माह तक प्रभावी रहेंगे।

33. प्रकरण में जप्तशुदा लोहे की जाली को परिवादी को सुपुर्दगी में देने हेतु संबंधित थानाधिकारी को तहरीरी जारी की जावे।

**(डॉ. ऋचा चायल)**
**अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,**
**के.पाटन, जिला बून्दी**

34. निर्णय आज दिनांक **27 मार्च, 2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

**(डॉ. ऋचा चायल)**
**अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,**
**के.पाटन, जिला बून्दी**